

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति  
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) एवं 02 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 360000/- (तीन लाख साठ हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध )	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का प्रकार, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० बटोरन पंडित, स्व० रामप्रसाद पंडित, सामान्य	श्रीमती राजकुमारी देवी(पत्नी)	163/12.5.18	ग्रा०+पो०+था०+प्र०-बड़हिया, लखीसराय	35098607 046	SBI KIOSK Banking Barahiya, SBIN0002916	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कुम्हारगिरी व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० अशोक कुमार उर्फ अशोक कुमार महतो, 38, श्री जयराम महतो, सामान्य	श्रीमती बिन्दू देवी(पत्नी)	207/14.6.18	ग्रा०-पनधरा, पो०-शरमा, था०-रामगढ़चौक, प्र०+जि०-लखीसराय	46471041 0000869	Bank of India, Lakhisarai, BKID0004647	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० गुलशन कुमार, 37 श्री राम विलास सिंह, सामान्य	श्रीमती जयमाला देवी(पत्नी)	208/14.6.18	ग्रा०+पो०+था०+प्र०-बड़हिया, लखीसराय	34700547 160	SBI, Barahiya Lakhisarai SBIN0002916	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि श्रमिक व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० महेश मोदी, 48, स्व० बालेश्वर मोदी, सामान्य	श्रीमती गंगा देवी(पत्नी)	209/14.6.18	ग्रा०-जय नगर काली पहाड़ी, पो०+था०+जि०-लखीसराय	46471011 0000149	Bank of India, Lakhisarai, BKID0004647	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर का कार्य
5	स्व० अजय बिन्दू, 28, श्री गोरेलाल बिन्दू, अनु० जाति	श्रीमती सजनी देवी(पत्नी)	210/15.6.18	ग्रा०-ओफापुर, पो०-बिलौरी, था०+प्र०+जि०-लखीसराय	33888587 83	Central Bank of India, CBIN0280049	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 360000/-

(तीन लाख साठ हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत अनुदान राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 5 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-15/2018 के पृष्ठ-10/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-15/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित



करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा0 गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-15/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा0 गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-15/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।  
निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 360000/- (तीन लाख साठ हजार रूपए रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा0 गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-15/2018-343

पटना, दिनांक :- 26-07-18

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, लखीसराय के उनके पत्रांक 214 दिनांक 15.6.18/जिला पदाधिकारी, लखीसराय को उनके पत्रांक 163 दिनांक 12.5.18, 207, 208, 209 दिनांक 14.6.18, 210 दिनांक 15.6.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)	(डा0 गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।